21.04.25 पत्रावली पेश। उभय पक्ष वकील उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1, 10 की ओर से जवाब लंबे समय से अप्राप्त होने से जवाब बंद किया जाता है। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आदेशिका दिनांक 24/08/2022 के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा गुंदाना पटवार हल्का सरवाना के खेत खसरा नं. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/473 जुमले रकबा 16.24 हैक्टेयर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है, अप्रार्थी भुनाराम कुटरचित दस्तावेज के जरिये संपूर्ण हिस्सा जरिये दान पत्र भूमि का पंजीयन करवा दिये है, जो प्रक्रियाधीन है। अगर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेकर्डेड खातेदारो के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश [illegible] कि अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान [illegible] की नियत से पेश [illegible] गया [illegible] खारिज [illegible] जावे।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

:- आदेश :-

अत: प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा भुनाना पटवार हल्का सरवाना के खेत खसरा नम्बर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/473 जुमले रकबा 16.24 हैक्टेयर में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

कलेक्टर, सांचौर
(प्रभारी अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner